जिले के शासकीय कार्यालयों में आम जनता के निम्नांकित कार्य एक दिवस में किये जा सकते हैं ।

(1)मूल निवासी प्रमाण–पत्र

कमाक	कार्य का नाम	शासकीय कार्यालय का नाम	सक्षम अधिकारी का नाम	आवेदन तथा उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज / चाही गई औपचारिकताएं
1	मूल निवासी प्रमाण–पत्र	कार्यालय कलेक्टर	तहसीलदार /नायब तहसीलदार	(1)मध्य प्रदेश में पैदा हुआ/हुई है, संबंधी प्रमाण । अथवा उसके पालक या वैध अभिभावक निरंतर 15 वर्ष से राज्य में रह रहे है, संबंधी प्रमाण । अथवा उसके पालक राज्य शासन के स्थाई सेवा में अथवा राज्य शासन से सेवा निवृत्त कर्मचारी है संबंधी प्रमाण। वह केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो राज्य में सेवारत् है, अथवा सेना सेवा का अधिकारी/कर्मचारी या भूतपूर्व सैनिक हो संबंधी प्रमाण। अथवा स्वयं अथवा पालक राज्य में 5 वर्ष से कार्य/व्यवसाय कर रहे हैं, अथवा चल/अचल संपत्ति है, संबंधी प्रमाण। म. प्र. में संवैधानिक या अन्य विधिक पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया हो, अथवा

				(B) इसके अतिरिक्त –: उन्होनें अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम 03 वर्ष शिक्षा प्राप्त की है, संबंधी प्रमाण । अथवा म.प्र. के स्थानीय निवासी के बच्चों द्वारा यदि म.प्र. के बाहर की शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण की हो, को छूट प्राप्त होगी, बशर्ते वह निर्धारित उक्त शर्तो की शर्त क्रमांक 2 की पूर्ति करता हो, अथवा आवेदक अंधमूक बधिर है, और किसी अन्य प्रदेश से शिक्षा ग्रहण की हो। अथवा उसने म. प्र. में स्थित शिक्षण संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है, संबंधी प्रमाण । • उच्चतर माध्यमिक परीक्षा। • आठवीं कक्षा की परीक्षा। • पाँचवी / प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा। सर्मथन हेतू प्रमाण –पत्र • राशन कार्ड • बिजली का बिल • टेलीफोन बिल • मतदाता परिचय पत्र / मतदाता सूचि • शैक्षणिक अभिलेख कॉलम " **A**" व कॉलम " **B**" में चाही गई औपचारिकतायें में से कॉलम " **A**" से न्यूनतम एक एवं कॉलम " **B**" से न्यूनतम एक औपचारिकता पूरी किये जाने पर संबंधित आवेदक को उसी दिन मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी कर दिया जावेगा।